संख्या:96/2024/340/35-1-2024/35-1099/94/2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोहीं, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 19 मार्च, 2024

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अन्तर्गत 3 वर्षों (2020-21 एवं इसके पूर्व के स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में द्वितीय/आगामी किश्त की मांग प्रेषण

महोदय,

अवगत ही हैं कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि का कार्य नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-11/2022/1115/717/35-1-2022 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा लोक निर्माण विभाग से नियोजन विभाग को स्थानान्तरित हुआ है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु नियोजन विभाग के बजट से धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2. उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत जनपदों से कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु सन्दर्भित की जा रही मांग के प्रपत्रों का परिक्षण करने पर पाया गया कि प्रेषित मांग में वर्ष 2020-21 अथवा इसके भी पूर्व के वर्षों में स्वीकृत कार्यों हेतु द्वितीय/अगली किश्त मांगी जा रही है। इतने लम्बे समय तक परियोजना क्यों विलंबित रही और समय से क्यों नहीं मांग प्रेषित की गयी इस विषय में जनपद स्तर से प्रेषित मांग पत्र में कोई तथ्यात्मक उल्लेख नहीं रहता। नियोजन विभाग को सन्दर्भित होने वाली अवशेष धनराशि की मांग/प्रकरण में बचत के रूप में भी धनराशि उभर कर आ रही है। इसके साथ ही 05 वर्ष से पूर्व के कार्यों हेतु भी मांग सन्दर्भित हो रही है। कतिपय जनपद से ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष मात्र 10 प्रतिशत अवमुक्त हुई है और धनराशि की आवश्यकता नहीं है। कदाचित ऐसे कार्य अन्य योजना से पूर्ण कराये गये होंगे। ऐसे कार्यों हेतु योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि को राजकोष के सुसंगत खाते में जमा कराया जाना होगा।

3. योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं इसके पूर्व के स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

3.क निधियों के अन्तर्गत 05 वर्ष से पूर्व के स्वीकृत कार्यों (यथा 2018-19 एवं इसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य) के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर वरिष्ट स्तरीय अधिकारिओं की एक गठित जांच समिति द्वारा कार्य के स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति की सत्यापन आख्या के साथ वित्तीय प्रपत्रों (यथा गठित अनुबंध /भुगतान आदि) का नियमानुसार परिक्षण कर अवशेष धनराशि की मांग के औचित्य विषयक आख्या / संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त आख्या के क्रम में स्वयं अपने स्तर पर समुचित परीक्षण कर इन कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा समय से धनराशि की मांग न किए जाने के सम्बन्ध में कारण को स्पष्ट करते हुए औचित्य के साथ अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3ख. निधियों के अन्तर्गत ऐसे कार्य जो 03 से 05 वर्ष पूर्व के स्वीकृत कार्यों (यथा वर्ष 2020- 21 से 2019-20) हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर के अधिकारीयों की टीम का गठन जांच हेतु किया जा सकेगा और उक्त जाँच समिति प्रस्तर-3(1) में वर्णित विन्दुवों के अनुरूप स्थलीय जाँच, कार्य की गुणवत्ता, वित्तीय प्रपत्रों के परीक्षण आदि विन्दुओं पर अपनी सत्यापन आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। उपरोक्त जाँच/सत्यापन आख्या के साथ साथ ही कार्य की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति और विलम्ब के कारणों के विषय में विशेष रूप से परीक्षण स्वयं अपने स्तर पर करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने अभिमत/संस्तुति के साथ नियमानुसार अवशेष धनराशि की मांग शासन को यथासंभव जिलाधिकारी के माध्यम से सन्दर्भित किया जायेगा।

3ग. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अन्तर्गत तीन वर्ष से पूर्व स्वीकृत कार्यों की वस्तु स्थिति के विषय में कुछ बड़े कार्यों का जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वयं भी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

3घ. निधियों के अन्तर्गत स्वीकृत ऐसे कार्य जो अन्य योजना से पूर्ण करा दिये गये हैं, के लिए अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित इसकी सूचीबद्ध सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3च. निधियों के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण कराए जाने के पश्चात बचत के रूप में उभर कर आने वाली धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित इसकी सूचीबद्ध सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अन्तर्गत **3 वर्षों यथा वर्ष 2020-21 एवं इसके पूर्व के स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में द्वितीय/आगामी किश्त की मांग प्रेषण किये जाने में** उपर्युक्त प्रस्तर-3 में इंगित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करते हुए धनराशि अवमुक्त करने विषयक मांग पत्र/सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:96/2024/340(1)/35-1-2024/35-1099/94/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित मण्डलों के उप-निदेशक, अर्थ एवं संख्या।
5. सम्बन्धित जनपदों के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in